न्यायालय अति.जिला कलेक्टर,टोंक

(मुरारी लाल शर्मा,आर0ए0एस0 द्वारा अध्यासित)

प्रकरण संख्या 29/2020
प्रविष्टि दिनांक 02.11.2020

तेजकरण पुत्र केसरा जाति बैरवा निवासी केरिया तहसील मालुपरा जिला टोंक राज0
—अपीलान्ट

बनाम

तहसीलदार मालपुरा जिला—टोंक राजस्थान
—रेस्पांडेण्ट

अपील अन्तर्गत धारा 75 रा0ले0रे0एक्ट विरूद्ध निर्णय न्यायालय तहसीलदार मालपुरा दिनांक 03.09.2020 धारा 91(3) राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थिति : (1) श्री शिवराज टाण्डी, अभिभाषक अपीलान्ट
(2) श्री जुगनु शर्मा, राजकीय अभिभाषक रेसपोडेण्ट

दिनांक **12.03.2021**

निर्णय

अपील का संक्षिप्त में सार इस प्रकार है कि अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार मालपुरा ने अपने आदेश दिनांक 03.09.2020 के द्वारा अपीलान्ट को भूमि खसरा नम्बर 99/5 रकबा 10 बिस्वा किस्म चरागाह वाके ग्राम केरिया पर पश्चातवर्ती अतिक्रमण मानकर शास्ति कायम कर भूमि से बेदखल कर 90 दिवस की सिविल कारावास की सजा से दण्डित किया है। अपीलान्ट ने तहसीलदार मालपुरा के उक्त आदेश से व्यथित होकर आदेश को खिलाफ कानून बताते हुए निरस्त किये जाने हेतु अपील प्रस्तुत की है।

प्रकरण प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया एंव तलबी रेस्पोडेण्ट जरिए सम्मन की जाकर अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। प्रकरण में अभिभाषक अपीलान्ट एंव राजकीय अभिभाषक की बहस सुनी गई।

विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट ने दोराने बहस अपील में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाधीन निर्णय पारित करने से पूर्व अपीलांट को सुनवाई का अवसर नही दिया है तथा अपीलांट की प्रोपर तामिल नही हुई है। अपीलांट को साक्ष्य—सबूत प्रस्तुत करने का भी अवसर नही दिया है। अधीनस्थ न्यायालय ने निर्णय पारित करने से पूर्व मौका निरीक्षण नही किया और नही मौके की वास्तविक वस्तु स्थिति की रिपोर्ट तलब की गई। अपीलांट को पूर्व मे उक्त भूमि से बेदखल किये जाने के संबंध मे कोई सक्षम साक्ष्य भी प्रस्तुत नही किये है। जिससे अपीलांट का पश्चातवर्ती अतिक्रमण साबित होता हो। उपरोक्त आराजी पर वर्तमान मे अपीलांट द्वारा अपना कब्जा हटा लिया है और मौके पर अपीलांट का कब्जा नही है। अपीलांट ने उक्त भूमि से अपना कब्जा हटा लेने बाबत शपथ

Signature Not Verified
Digitally signed by Murari Lal Sharma
Date: 2021.04.07 16:33:17 IST
Reason: SelfAttested

अतिरिक्त जिला कलेक्टर
टोंक

Scanned by CamScanner

पत्र अपील मीमो के साथ ही प्रस्तुत किया है। अतः अपील अपीलाण्ट स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय निरस्त किया जावे।

अपीलान्ट के विद्वान अभिभाषक की बहस का जवाब देते हुए राजकीय अभिभाषक ने कथन किया कि सम्मन पर अपीलाण्ट की विधिवत तामिल हुई है। अतिक्रमी अधीनस्थ न्यायालय मे उपस्थित हुआ है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से यह भी ज्ञात होता है कि अपीलान्ट ने उक्त आराजी खसरा नम्बर पर इससे पूर्व में भी अतिक्रमण किया था। अतिक्रमी चरागाह भूमि पर बार बार अतिक्रमण करने का आदी है, उपलब्ध दस्तावेजात से अपीलाण्ट का पश्चातवर्ती अतिक्रमी होना सिद्व है। अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय सही एंव उचित है। अतः अपील अपीलान्ट खारिज योग्य है।

विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट एंव राजकीय अभिभाषक की बहस पर मनन किया एंव अधीनस्थ न्यायालय की अपीलाधीन पत्रावली का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अध्ययन करने से विदित होता है कि अपीलान्ट को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पश्चातवर्ती अतिक्रमण का नोटिस दिया गया है। अपीलाण्ट की विधिवत रूप से तामील हुई है। अपीलाण्ट अधीनस्थ न्यायालय मे उपस्थित हुआ है। अपीलान्ट द्वारा सार्वजनिक उपयोग की राजकीय भूमि खसरा नम्बर 99/5 रकबा 10 बिस्वा किस्म चरागाह वाके ग्राम केरिया तहसील मालपुरा पर कब्जा बाडा बनाकर अतिक्रमण किया है।

अपीलांट द्वारा प्रस्तुत शपथ पत्र बाबत हटाये जाने कब्जे के संबंध मे तहसीलदार मालपुरा से जांच करवाने पर तहसीलदार मालपुरा ने उनके पत्र कमांक 3324 दिनांक 31.12.2020 से अवगत कराया है कि आरजी खसरा नम्बर 99/5 रकबा 1 बीघा वाके ग्राम केरिया पर अब वर्तमान मे अतिक्रमी द्वारा मौके पर से भौतिक रूप से कब्जा हटा लिया है और वर्तमान मे उक्त चरागाह भूमि पर किसी प्रकार का अतिक्रमण नही है। ऐसी स्थिति मे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय मे हस्तक्षेप किया जाना उचित प्रतीत होता है।

फलतः अपील अपीलाण्ट आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय दिनांक 03.09.2020 के जरिये की गई दोष सिद्वी एंव अर्थ दण्ड को यथावत रखा जाता है,परन्तु सिविल कारावास की सजा को इस शर्त पर स्थगित रखा जाता है कि तहसीलदार मालपुरा यह सुनिश्चित करेगे की अपीलांट का अतिक्रमित भूमि पर कब्जा नही हो। पटवारी हल्का द्वारा राजहित मे उक्त भूमि का कब्जा प्राप्त कर लिया है तथा अपीलांट द्वारा अधिरोपित अर्थ दण्ड जमा करा दिया है एंव भविष्य मे पुनः किसी राजकीय सम्पत्ति/भूमि पर अपीलांट कब्जा नही करेगा। यदि अपीलांट द्वारा अतिकमित भूमि पर से कब्जा हटाया जाने का शपथ पत्र झूठा पाया जाता है या अतिक्रमी उसी भूमि पर पुनः कब्जा करता है तो अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय यथावत रहेगा। तहसीलदार मालपुरा हल्का पटवारी से उक्त भूमि पर अतिक्रमण के संबध मे मासिक रिपोर्ट लेवे। प्रार्थना पत्र स्थगन खारिज किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 12.03.2021 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर टोंक)

Signature Not Verified

Digitally signed by Murari Lal Sharma
Date: 2021.04.07 16:33:17 IST
Reason: SelfAttested

12-3-21
(मुरारी लाल शर्मा)
अतिरिक्त जिला कलेक्टर टोंक
अति.जिला कलेक्टर, टोंक

Scanned by CamScanner